

[2023] 7 एस. सी. आर. 347

ए.

एम. पी. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम

भारत और ओआरएस का संघ

(2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 155) 29 मार्च, 2023

बी.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई, पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020-दलीलों की ई-फाइलिंग-वित्तीय सेवा विभाग ने 2020 में ई-फाइलिंग नियम पेश किए, जहां ई-फाइलिंग को वैकल्पिक बना दिया गया था। 22.07.2021, ई-फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया गया था जहां विवादग्रस्त विषय वस्तु का आर्थिक मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक था-आई. डी. 1 पर, विषय वस्तु के मूल्य की परवाह किए बिना सभी मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया गया था-अपीलकर्ता ने ई-फाइलिंग नियमों के संशोधित नियम 3 के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए और डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. को उनके समक्ष अभिवचनों और आवेदनों की संकर फाइलिंग जारी रखने के निर्देश के लिए यू/अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की और आगे कहा कि, नियमों को हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श के बिना लागू किया जाता है-आयोजित: अभिलेख पर रखी गई सामग्री से संकेत मिलता है कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा ई-फाइलिंग की शुरुआत को क्रमिक चरणों में सुगम बनाया गया था-सभी हितधारकों को नई व्यवस्था के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और हितधारकों का प्रशिक्षण किया गया है-ई-फाइलिंग न्याय के प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता प्रदान करती है-ई-फाइलिंग अदालत प्रणाली तक 24x7 पहुंच प्रदान करती है और वकीलों के साथ-साथ वादियों की सुविधा भी प्रदान करती है-शिकायतों को देखते हुए, जारी किए गए निर्देश: ई-फाइलिंग की प्रक्रिया में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों के बारे में बार एसोसिएशन वित्तीय सेवा विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे; डी. आर. ए. टी. के अध्यक्षों और डी. आर. टी. के पीठासीन अधिकारियों को वित्तीय सेवा विभाग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ई-फाइलिंग के अनुभव को उजागर किया गया है और किसी भी आवश्यक उन्नयन का सुझाव दिया गया है; राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) ई-फाइलिंग की प्रगति की निगरानी करने और वास्तविक समय के आधार पर किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए एक टीम का गठन करेगा; ई-फाइलिंग मॉड्यूल को उन्नत किया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

347

348 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

आवधिक विकास के साथ; ई-फाइलिंग की सुविधा और सभी ई-सेवाओं के लिए एक चरणीय समाधान प्रदान करने के लिए डी. आर. टी. या डी. आर. ए. टी. के सभी केंद्रों पर ई-सेवाकेंद्र (ई-सेवा केंद्र) स्थापित करने की अनुशंसा की गई है।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

बी.

पकड़ना: **1.** यह प्रक्रिया धीरे-धीरे की गई है। सभी हितधारकों को नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। एक हितधारक का प्रशिक्षण किया गया है। जवाबी हलफनामा उन विशिष्ट तिथियों को इंगित करता है जिन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ई-फाइलिंग न्याय के प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता प्रदान करती है। ई-फाइलिंग अदालत प्रणाली तक **24x7** पहुंच प्रदान करती है और वास्तव में, वकीलों के साथ-साथ वादियों की सुविधा भी प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, यह मानने में बहुत देर हो जाएगी कि ई-फाइलिंग को नहीं अपनाया जाना चाहिए। वास्तव में, ई-फाइलिंग करने के निर्णय को चरणबद्ध तरीके से उच्च न्यायालयों सहित देश के अन्य न्यायाधिकरणों और न्यायालयों द्वारा दोहराया जाना चाहिए और यह अंततः अनिवार्य हो जाता है। [पारस **11,12**] [**352-जी-एच; 353-ए**]

सी.

डी.

2. इस न्यायालय का विचार था कि इस कार्यवाही में जिस शिकायत को चित्रित किया गया है, उसे दो स्तरों पर संबोधित किया जा सकता है। सबसे पहले, यह न्यायालय डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में वकीलों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बार संघों को ई-फाइलिंग की प्रक्रिया में किसी विशेष कठिनाई का सामना करने पर वित्तीय सेवा

विभाग को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। अभ्यावेदनों को ठोस सुझावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें ई-फाइलिंग की सुविधा के लिए लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस अदालत ने स्पष्ट किया कि अभ्यावेदन दायर करने का अवसर देकर, यह अदालत ई-फाइलिंग को अनिवार्य रूप से अपनाने की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठा रही थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पन्न होने वाली किसी भी गड़बड़ी को प्रभावी ढंग से दूर किया जाए। इसके साथ ही, इस न्यायालय ने डी. आर. ए. टी. के सभी अध्यक्षों और डी. आर. टी. के पीठासीन अधिकारियों को ई-फाइलिंग के अनुभव की ओर इशारा करते हुए वित्तीय सेवा विभाग को शुरू में छह महीने की अवधि के लिए मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया और सुझाव दिया कि यदि सुविधाओं या सॉफ्टवेयर का कोई उन्नयन आवश्यक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसने ए में रखा है ई.

एफ.

जी.

एच.

349

एम. पी. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत और हमारा संघ

डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. के लिए ई-फाइलिंग सुविधाओं को स्थापित करना, न्यायिक प्रणाली में भी इसी अभ्यास को सुविधाजनक बना रहा है। एन. आई. सी. अधिकारियों की एक मजबूत टीम से लैस है। एन. आई. सी. के महानिदेशक डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में ई-फाइलिंग की प्रगति की निगरानी के लिए एक दल का गठन करेंगे ताकि आने वाली किसी भी कठिनाई का वास्तविक समय के आधार पर उचित समाधान किया जा सके। ई-फाइलिंग मॉड्यूल को आवधिक विकास के साथ उन्नत किया जाना चाहिए। दूसरा पहलू जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में स्थापित किए गए हेल्प डेस्क से संबंधित है। [पैरा 14,15,16] [353-डी-एच; 354-ए]

बी.

3. इस न्यायालय ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि आयोजित डेस्क स्थापित करने के अलावा, यह उचित होगा कि डी. आर. टी. के सभी केंद्रों पर ई-सेवाकेंद्र स्थापित किए जाएं या, जैसा भी मामला हो, डी. आर. ए. टी. मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा के लिए और एक चरणीय समाधान प्रदान करें जिसमें डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में सभी ई-सेवाएं शामिल हों। ई-सिलाई केंद्रों में कंप्यूटर और स्कैनर के रूप में पर्याप्त उपकरण होने चाहिए, साथ ही मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि ई-फाइलिंग की प्रक्रिया

को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस संदर्भ में, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एन. आई. सी. के परामर्श से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक ई-केंद्रों पर सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। यह देश भर में ई-सेवा केंद्रों में अदालत प्रतिष्ठान प्रदान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के मिशन के अनुरूप होगा। ई-सेवा केंद्रों की स्थापना से वकीलों और वादियों को न्याय मिलेगा। वित्तीय सेवा विभाग समय-समय पर व्यवस्था की समीक्षा करने और उस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। [पैरा 18] [354-सी-ई]

सी.

डी.

ई.

एफ.

नागरिक मूल न्याय निर्णय: 2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 155।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) सिद्धार्थ आर. गुप्ता, श्रीमती सुनीता गुप्ता, सुश्री साक्षी बंगा, मृगांक प्रभाकर, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

जी.

श्याम गोपाल, समरवीर सिंह, श्रीमती प्रवीण गौतम, प्रह्लाद सिंह, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी गणों के लिए।

एच.

350

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. 39 ऋण वसूली न्यायाधिकरण 1 और 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण 2 का गठन ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम 1993 3 के तहत किया गया है।

बी.

2. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग ने 23 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और ऋण वसूली अपीलीय

न्यायाधिकरण (डी. आर. ए. टी.) इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम 2020 4 अधिसूचित किए गए थे। मूल रूप से, अभिवचनों और आवेदनों की ई-फाइलिंग को वैकल्पिक बनाया गया था। 22 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मामलों की ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। 9 जून 2022 को डी. आर. ए. टी. के अध्यक्षों और डी. आर. टी. के पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि कार्यवाही में शामिल राशि की परवाह किए बिना ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

सी.

डी.

3. 31 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियमों में संशोधन के लिए 1993 के अधिनियम की धारा 36 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी ताकि आवेदकों द्वारा अभिवचनों की ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाया जा सके। फाइलिंग का कोई अन्य रूप, यह प्रदान किया गया है, रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ई.

4. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये कार्यवाही ई-फाइलिंग नियमों के संशोधित नियम 3 के प्रावधानों को चुनौती देने और देश भर के डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. को उनके समक्ष दलीलों और आवेदनों की संकर फाइलिंग जारी रखने के निर्देश के लिए शुरू की गई है।

5. इन कार्यवाही में 24 फरवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया था। 6. नोटिस जारी करने के आदेश के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के एक अधिकारी द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। ई-फाइलिंग नियमों में संशोधन के लिए अनुक्रम निर्धारित करने के अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि 31 जनवरी 2023 की अधिसूचना जारी होने से पहले, डी. आर. टी. के समक्ष मामले दर्ज करने का विश्लेषण किया गया था। यह देखा गया कि उन मामलों के संबंध में जहां मूल्य 100 करोड़ रुपये से कम है,

एफ.

जी.

1 "डी. आर. टी. "2" डी. आर. ए. टी. "3" 1993 अधिनियम "4" 2020 नियम "

एच.

351

एम पी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत और हमारा संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ए.

मूल आवेदन 5 के मामले में ई-फाइल किए गए मामलों का प्रतिशत लगभग 25.89% और प्रतिभूतिकरण आवेदन 6 के मामले में 20.84% था। यह तब था जब 31 जनवरी 2023 से पहले 100 करोड़ रुपये से कम मूल्य के मामलों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य नहीं थी। जहां तक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि से जुड़े मामलों का संबंध है, ओ. ए. के मामले में ई-फाइल किए गए मामलों का प्रतिशत 15.87% और एस. ए. में 23.81% था। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि छोटे उधारकर्ता भी ई-फाइलिंग के माध्यम से अपने मामले दर्ज कर रहे थे, भले ही यह अनिवार्य न हो। कुल दायर किए गए मामलों में ई-दाखिल किए गए मामलों का प्रतिशत जहां मुकदमा राशि 50 लाख रुपये या उससे कम थी, दायर किए गए ओ. ए. का 27.46% और दायर किए गए एस. ए. का 20.63% था। हलफनामा इंगित करता है कि अनिवार्य ई-फाइलिंग, समय सीमा के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के अलावा, इंटरनेट की मदद से दूरदराज के स्थानों से भी वादियों द्वारा 24x7 फाइलिंग की सुविधा प्रदान करती है। 1 फरवरी 2023 और 2 मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान देश के सभी डी. आर. टी. में ई-दाखिल किए गए आवेदनों की कुल संख्या 10,415 थी।

बी.

सी.

7. जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. में मामलों की परेशानी मुक्त ई-फाइलिंग के लिए हितधारकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां वर्तमान में 90 कर्मचारी ई-फाइलिंग की सुविधा के लिए तकनीकी सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे कार्यात्मक और तकनीकी कठिनाइयों के समाधान में आंतरिक और बाहरी हितधारकों की सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा, यह कहा गया है कि डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक हेल्प डेस्क विकल्प उपलब्ध है जहाँ उपयोगकर्ता प्राथमिकता के आधार पर अपने अनुरोध/शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। इसलिए, एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान किया गया है। जवाबी हलफनामे में संकेत दिया गया है कि वादियों और बार एसोसिएशन के सदस्यों को ई-फाइलिंग प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. के साथ समन्वय में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में तैनात तकनीकी सहयोगियों द्वारा कई दौर के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया है और इसका रखरखाव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी को अपनाकर किया जाता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ आर गुप्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि 2020 के नियमों में संशोधन सभी मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाता है।

5 "ओएसएस "6" एसएसएस "

एच.

352

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

31 जनवरी 2023 से प्रभावी मूल्य सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किए बिना था। अधिवक्ता ने कहा कि डी. आर. टी. का गठन दूरदराज के क्षेत्रों में किया जाता है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि निम्नलिखित के लिए एक अपवाद का प्रावधान किया जाना चाहिए:

((i) न्यायसंगत और पर्याप्त कारण; (ii) वरिष्ठ नागरिक; और

बी.

((iii) महिला व्यवसायी और ग्राहक।

9. अधिवक्ता ने आगे कहा कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने की स्थिति में कुछ वैकल्पिक तौर-तरीकों का पालन किया जाना चाहिए।

सी.

10. दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से पेश अधिवक्ता श्री श्याम गोपाल ने आग्रह किया है कि, जैसा कि जवाबी हलफनामे से पता चलता है, अनिवार्य ई-फाइलिंग की शुरुआत अचानक या जल्दबाजी में नहीं की गई थी। इसके विपरीत, इससे पहले बार के सदस्यों के लिए परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि कार्यान्वयन तीन चरणों में क्रमिक आधार पर किया गया था। बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी गड़बड़ी या सहायता के अनुरोधों को दूर करने के लिए सभी डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में सहायता डेस्क प्रदान किए गए हैं।

डी.

11. अभिलेख पर रखी गई सामग्री इंगित करती है कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा ई-फाइलिंग की शुरुआत को क्रमिक चरणों में सुगम बनाया गया था। शुरू में, 2020 में ई-फाइलिंग नियमों की शुरुआत के साथ, पहले चरण में ई-फाइलिंग को वैकल्पिक बना दिया गया था। दूसरे चरण में, 22 जुलाई 2022 की एक अधिसूचना द्वारा ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें विवादग्रस्त विषय का आर्थिक मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक था। विषय वस्तु के मूल्य की परवाह किए बिना सभी मामलों में अनिवार्य ई-फाइलिंग की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को तीसरे चरण में की गई थी। यह इंगित करता है कि प्रक्रिया धीरे-धीरे की गई है। सभी हितधारकों को नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। एक हितधारक का प्रशिक्षण किया गया है। जवाबी हलफनामा उन विशिष्ट तिथियों को इंगित करता है जिन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ई.

एफ.

जी.

12. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ई-फाइलिंग न्याय के प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता प्रदान करती है। ई-फाइलिंग अदालत प्रणाली तक 24x7 पहुंच प्रदान करती है और वास्तव में, वकीलों के साथ-साथ वादियों की सुविधा भी प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के मार्च के साथ, ए

एच.

353

एम. पी. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत और हमारा संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

यह मानने में बहुत देर हो जाएगी कि ई-फाइलिंग को अपनाया नहीं जाना चाहिए। वास्तव में, ई-फाइलिंग करने के निर्णय को चरणबद्ध तरीके से उच्च न्यायालयों सहित देश के अन्य न्यायाधिकरणों और न्यायालयों द्वारा दोहराया जाना चाहिए और यह अंततः अनिवार्य हो जाता है। 13. साथ ही, न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकता कि देश में एक डिजिटल विभाजन है और सभी नागरिकों के पास इंटरनेट या प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। प्रौद्योगिकी एक प्रवर्तक और सहायक है। इसलिए, नागरिकों का कोई भी वर्ग प्रौद्योगिकी को अपनाने में पीछे नहीं रहना चाहिए, कम से कम, न्याय तक पहुंच के मामले में। श्री सिद्धार्थ आर गुप्ता की प्रस्तुति कानूनी पेशे में जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से सामने आती है। सभी वकीलों के पास आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच नहीं हो सकती है। अदालती प्रतिष्ठानों में सुविधाएं प्रदान करके उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। 14. हमारा विचार है कि इस कार्यवाही में जिस

शिकायत को चित्रित किया गया है, उसे दो स्तरों पर संबोधित किया जा सकता है। सबसे पहले, हम डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में वकीलों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बार संघों को ई-फाइलिंग की प्रक्रिया में किसी भी विशिष्ट कठिनाई का सामना करने पर वित्तीय सेवा विभाग को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। अभ्यावेदनों को ठोस सुझावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें ई-फाइलिंग की सुविधा के लिए लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम स्पष्ट करते हैं कि अभ्यावेदन दाखिल करने के अवसर की अनुमति देकर, हम ई-फाइलिंग को अनिवार्य रूप से अपनाने की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पन्न होने वाली किसी भी गड़बड़ी को प्रभावी ढंग से दूर किया जाए। साथ ही, हम डी. आर. ए. टी. के सभी अध्यक्षों और डी. आर. टी. के पीठासीन अधिकारियों को भी निर्देश देंगे कि वे शुरू में छह महीने की अवधि के लिए वित्तीय सेवा विभाग को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें ई-फाइलिंग के अनुभव को इंगित किया जाए और सुझाव दिया जाए कि यदि सुविधाओं या सॉफ्टवेयर का कोई उन्नयन आवश्यक है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

15. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 7, जिसने डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. के लिए ई-फाइलिंग सुविधाओं को स्थापित किया है, भी न्यायिक प्रणाली में इसी अभ्यास को सुविधाजनक बना रहा है। एन. आई. सी. अधिकारियों की एक मजबूत टीम से लैस है। एन. आई. सी. के महानिदेशक डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में ई-फाइलिंग की प्रगति की निगरानी के लिए एक दल का गठन करेंगे ताकि आने वाली किसी भी कठिनाई का वास्तविक समय के आधार पर उचित समाधान किया जा सके। ई-फाइलिंग मॉड्यूल को आवधिक विकास के साथ उन्नत किया जाना चाहिए।

जी.

7 "एन. आई. सी. "

एच.

354

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

16. दूसरा पहलू जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में स्थापित किए गए हेल्प डेस्क से संबंधित है।

17. श्री श्याम गोपाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एर्नाकुलम के लिए डी. आर. टी. द्वारा और दिल्ली में डी. आर. ए. टी. द्वारा 22 फरवरी 2023 को जारी एक नोटिस का हवाला दिया है जिसमें हेल्प डेस्क स्थापित करने या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का संकेत दिया गया है।

बी.

18. इस संबंध में, हम केंद्र सरकार से सिफारिश करेंगे कि आयोजित डेस्क स्थापित करने के अलावा, यह उचित होगा कि डी. आर. टी. के सभी केंद्रों पर ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं या, जैसा भी मामला हो, डी. आर. ए. टी. मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा के लिए और एक चरणीय समाधान प्रदान करें जिसमें डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में सभी ई-सेवाएं शामिल हों। ई-सेवा केंद्रों में कंप्यूटर और स्कैनर के रूप में पर्याप्त उपकरण होने चाहिए, साथ ही मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस संदर्भ में, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एन. आई. सी. के परामर्श से एक मानक संचालन प्रक्रिया 8 तैयार की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक ई-सेवा केंद्रों पर सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। यह देश भर के अदालती प्रतिष्ठानों में ई-सेवा केंद्र प्रदान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के मिशन के अनुरूप होगा। ई-सेवा केंद्रों की स्थापना से वकीलों और वादियों को न्याय मिलेगा। वित्तीय सेवा विभाग समय-समय पर व्यवस्था की समीक्षा करने और उस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सी.

डी.

ई.

19. श्री सिद्धार्थ आर गुप्ता द्वारा आग्रह की गई अधिकांश विशिष्ट शिकायतें उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में दूर की गई हैं। 20. भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच डिजिटल विभाजन एक कठोर वास्तविकता है:

एफ.

आई. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने अपने 78 वें दौर में पूरे देश को कवर करते हुए एक बहु संकेतक सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट, 9 अन्य बातों के साथ-साथ, 9 अलग-अलग आई. सी. टी. कौशल का प्रदर्शन करने में 15-29 वर्षों के बीच व्यक्तियों के प्रदर्शन को देखा गया। यह निष्कर्ष निकालता है कि पुरुषों का प्रतिशत जो

जी.

8 "एसओपी "

9 भारत में कई संकेतक सर्वेक्षण:एन. एस. एस. 78 वां दौर (2020-2021), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (मार्च 2023)

एच.

355

एम पी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत और हमारा संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ए.

विभिन्न आई. सी. टी. कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकना महिलाओं के प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, जबकि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष 19.4% संलग्न फ़ाइलों के साथ ईमेल भेज सकते हैं, केवल 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं ही समान कार्य कर सकती हैं।

बी.

ii. 2019 से 2021 के बीच की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 डेटा 10 ने उन पुरुषों और महिलाओं (15-49 वर्ष की आयु) के अनुपात को मापा जिन्होंने कभी भी इंटरनेट का उपयोग किया है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि आधे से अधिक पुरुषों (51.2%) की तुलना में भारत में तीन में से केवल एक महिला (33.3%) ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। ग्रामीण भारत में लिंग विभाजन अधिक स्पष्ट है, जिसमें पुरुषों (43.4%) के इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना महिलाओं (24.6%) की तुलना में लगभग दोगुनी है।

iii. जी. एस. एम. ए. मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 11 में पाया गया कि 2020 से 2021 तक दक्षिण एशिया में मोबाइल इंटरनेट लिंग अंतर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया है। भारत में पुरुषों का मोबाइल इंटरनेट उपयोग 45 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया, जबकि महिलाओं का मोबाइल इंटरनेट उपयोग 30 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

सी.

डी.

ई-फाइलिंग की प्रक्रिया में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों पर बार एसोसिएशनों द्वारा किए गए अभ्यावेदन और डी. आर. ए. टी. के अध्यक्षों और डी. आर. टी. के पीठासीन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अपने संबंधित अभ्यावेदन/रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय लिंग के आधार पर डिजिटल बहिष्कार का संज्ञान लेना चाहिए। हेल्प डेस्क महिला वादियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक समर्पित पोर्टल प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि, हम इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि महिला व्यवसायियों

और वादियों के लिए एक सामान्य अपवाद होना चाहिए। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की किसी की अंतर्निहित क्षमता में लिंग विभाजन है।

ई.

एफ.

21. उपरोक्त कारणों से, हमने सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में बार के सदस्यों की वास्तविक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए निर्देश जारी किए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-फाइलिंग को अपनाने में, नागरिकों का कोई भी वर्ग न्याय प्राप्त करने में असमर्थ न हो। उचित रूप से लागू किए जाने पर उपरोक्त सुझाव उद्देश्य को पूरा करेंगे।

जी.

10 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन. एफ. एच. एस-5) 2019-2021, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय कल्याण, भारत सरकार (मार्च 2022)

11 मैथ्यू शानाहन, द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, जीएसएमए (जून 2022)

एच.

356

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

22. उपरोक्त शर्तों में जिस अभ्यास को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, उसे इस आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह वित्तीय सेवा विभाग को ऐसी आगे की व्यवस्था करने से नहीं रोकेगा जो देश के विभिन्न हिस्सों में किसी भी डी. आर. टी./डी. आर. ए. टी. में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक पाई जाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, सभी परिस्थितियों में एक-आकार-फिट दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है और आवश्यकताओं के अनुसार स्थितिजन्य संशोधनों को उपयुक्त रूप से अपनाया जा सकता है।

बी.

23. याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा। 24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

सी.

अंकित ज्ञान

याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.